HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

अनुशासन समिति परिवाद सं0 304/2022

बच्ची लाल चन्देल .....परिवादी

बनाम

चंचल चित्त एडवोकेट .....प्रतिवादी

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद प्रार्थी बच्चीलाल चन्देल पुत्र चुन्नी लाल निवासी ग्राम कण्ठीपुर पोस्ट रंगौली जिला चित्रकूट द्वारा श्री चंचल चित्त अधिवक्ता जिला बार चित्रकूट उत्तर प्रदेश के विरूद्व इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त प्रतिवादी अधिवक्ता स्थानीय राजनीति में प्रतिभाग करता है तथा अपने ग्राम सभा कण्ठीपुर तहसील कर्वी का प्रधान रहा है,केवल बार एसोसिएशन के चुनाव में प्रतिभाग करता है, उक्त अधिवक्ता कभी भी किसी न्यायालय में किसी भी पक्षकार का अधिवक्ता नही रहा है,उक्त अधिवक्ता के विरूद्व कोतवाली कर्वी में वर्ष 1996 से वर्ष 2019 तक भा0 दं0 सं0 की कई धाराओं में अभियोग पंजीकृत है जो कि न्यायालय में विचाराधीन है।

उपरोक्त अधिवक्ता के व्यवसाय में ईमानदारी, नैतिक मूल्यों आचार नीति एवं निष्ठा का पूर्ण अभाव है। आपराधिक गतिविधियों अभिलेखों के कूटकरण शासकीय धनराशि के गबन व शासकीय धनराशि के गबन में इनकी संलिप्तता है तथा उक्त अधिवक्ता 2020 से अप्रैल 2021 तक जिला कारागार में बन्द रहा है। अपने आपराधिक कार्यो में अधिवक्ता होने का लाभ लेता चला आ रहा है। अपने संलग्नक में वोटर लिस्ट जिला बार चित्रकूट की दाखिल की है जिसमें अधिवक्ता का नाम क्रमांक सं0 91 पर दर्ज है। तथा प्रतिवादी अधिवक्ता का आपराधिक इतिहास की छायाप्रति दाखिल की है जिसमें थाना कोतवाली कर्वी द्वारा सात केस क्रमशः 01.मु0अ0सं0 611/96 धारा 409 भा0द0वि0 02. मु0अ0सं0 186/905 धारा 147,148,323,504,506 भा0द0वि0 व 3 (1)एस0सी0/एस0टी0एक्ट 03. मु0अ0सं0 578/11 धारा 406/411 भा0द0वि0 04. मु0अ0सं0 852/11

धारा 304 भा0द0वि0 05. मु0अ0सं0 639/12 धारा 147,148,149,452,325,504,506 भा0द0वि0 06. मु0अ0सं0 537/15 धारा 147,148,149,427,506 भा0द0वि0 व 07 क्रिमिनल एक्ट 07. मु0अ0सं0 907/19 धारा 420,467,468,409 भा0द0वि0 थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट में दर्शाये गये है। तथा सूची के साथ समाचार पत्र की छायाप्रतियॉ एवं जिलाधिकारी चित्रकूट को दिये गये प्रार्थनापत्र की प्रतियॉ आदि प्रपत्र दाखिल किये गये है।तथा अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत प्रतिवादी अधिवक्ता को एडवोकेट रोल की पृथक्करण की कार्यवाही करनें के लिए कहा गया है।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपने ज़बाबदावा में कहा गया कि उपरोक्त परिवाद मे किये गये कथन बिल्कुल असत्य है परिवादी द्वारा प्रार्थी के विरूद्व गलत शिकायत की गई है। प्रतिवादी का पंजीकरण सं0 1117/1988 है तथा सी0ओ0पी0 सं0 118039 है ,तथा प्रतिवादी जिला बार का सम्मानित सदस्य है,जनपद चित्रकूट में अपना अधिवक्ता का व्यवसाय करता है।प्रतिवादी सम्मानित व्यक्ति है तथा अपने ग्राम का चार बार का निर्वाचित प्रधान है। प्रार्थी के पिता स्व0 चुन्नालाल भी प्रतिष्ठित अधिवक्ता थे, प्रार्थी अधिवक्ता पुत्र है एवं अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार है।

परिवादी बच्चीलाल प्रतिवादी के विरूद्व प्रधान पद का प्रत्याशी रहा है तथा भारी मतो से पराजित हुआ है, इसीलिए प्रार्थी पर गम्भीर आरोप लगाकर यह परिवाद दाखिल किया है। परिवादी द्वारा दिये गये मुकद्मो में प्रतिवादी दोष मुक्त हुआ है तथा शिकायतकर्ता बच्चीलाल एक ही गॉव व एक ही बिरादरी के होने के कारण रंजिशन झूठी शिकायत करता है। प्रतिवादी द्वारा जिन केसेज में प्रतिभाग किया गया है उनकी लिस्ट ज़बाबदावा के साथ संलग्न है तथा प्रतिवादी मु0अ0सं0 611/96,186/05 , 852/11 थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट में दोष मुक्त हो चुका है तथा कुछ केस न्यायालय में विचाराधीन है। जिला बार एसोसिएशन कर्वी चित्रकूट द्वारा अधिवक्ता व्यवसाय में कार्य करनें का प्रमाणपत्र भी जारी किया गया है।

BAR COUNCIL OF U.P. Allahabad

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

परिवादी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में कहा गया है कि प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपना गलत कथन प्रस्तुत किया गया है, उसके द्वारा किया गया कथन झूठा है एवं गलत तथ्यों पर आधारित है।

उपरोक्त परिवाद व लिखित कथन के आधार पर निम्न लिखित वाद बिन्दु निर्धारित किये गये।

1. क्या विपक्षी अधिवक्ता के कृत्य व्यवसायिक कदाचार/अन्य कदाचार के अन्तर्गत आतें है
2. क्या परिवादी को विपक्षी अधिवक्ता के विरूद्व शिकायत करनें का उचित आधार / अधिकार है ?
3. परिवादी क्या उपचार पानें का अधिकारी है
4. क्या परिवादी द्वारा विपक्षी अधिवक्ता के विरूद्व गलत शिकायत करके उन्हे परेशान व प्रताणित किया जा रहा है ?

वाद बिन्दु सं0 1 के सम्बन्ध में विपक्षी अधिवक्ता का कृत्य व्यवसायिक कदाचार के अन्तर्गत आता है। यह विवाद ग्राम प्रधान चुनाव को लेकर है जिसमें परिवादी ग्राम प्रधान चुनाव में प्रतिभागी है। उपरोक्त चुनाव के अतिरिक्त प्रतिवादी पर कई आपराधिक वाद लम्बित है,तथा प्रतिवादी अधिवक्ता व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य कार्यो में संलग्न है, जिसके कारण उस पर थाना कर्वी जिला चित्रकूट में कई आपराधिक वाद लम्बित है,तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से प्रतिवादी जमानत पर है। तथा प्रतिवादी अधिवक्ता का आपराधिक इतिहास है, प्रतिवादी के विरूद्व आपराधिक विवाद विभिन्न न्यायालयों में लम्बित है। जिसमें अधिवक्ता के रूप में प्रतिवादी श्री चंचल चित्त पंजीकृत होने के कारण न्यायालय में अपनी अधिवक्ता होने का गलत प्रभाव डालते है। राज्य विधिज्ञ परिषद उत्तर प्रदेश के समक्ष परिवादी का आधार सही तथ्यों पर आधारित है। विपक्षी अधिवक्ता का कृत्य व्यवसायिक कदाचार के अन्तर्गत आता है। इसलिए यह वाद बिन्दु सकारात्मक रूप से परिवादी के पक्ष में प्रतिवादी अधिवक्ता के विरूद्व निस्तारित किया जाता है।

BAR COUNCIL OF U.P. Allahabad

वाद बिन्दु सं0 2 के सम्बन्ध में विपक्षी अधिवक्ता को परिवादी द्वारा परेशान प्रताड़ित नही किया जा रहा है, बल्कि प्रतिवादी अधिवक्ता का आपराधिक इतिहास है। जिससे विधि व्यवसाय की गरिमा को क्षति कारित प्रतीत होती है। इसलिए यह वाद बिन्दु सकारात्मक रूप से परिवादी के पक्ष में प्रतिवादी अधिवक्ता के विरूद्व निस्तारित किया जाता है।

वाद बिन्दु सं0 3 के सम्बन्ध में परिवादी अनुशासन समिति से उपचार पानें का अधिकारी है, क्योंकि उपरोक्त से सम्बन्धित प्रतिवादी के विरूद्व आपराधिक वाद विभिन्न न्यायालयों में लम्बित है। इसलिए यह वाद बिन्दु सकारात्मक रूप से परिवादी के पक्ष में तथा विरूद्व प्रतिवादी के विरूद्व निस्तारित किया जाता है।

वाद बिन्दु सं0 4 के सम्बन्ध में परिवादी द्वारा राज्य विधिज्ञ परिषद उत्तर प्रदेश में अनुशासन समिति के समक्ष प्रतिवादी के विरूद्व गलत तरीके से शिकायत नही की गई है बल्कि प्रतिवादी अधिवक्ता के विरूद्व कई आपराधिक वाद पंजीकृत है । इसलिए यह वाद बिन्दु सकारात्मक रूप से परिवादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्व निस्तारित किया जाता है।

निष्कर्ष

उपरोक्त परिवाद व प्रतिवादी द्वारा पत्रावली पर दाखिल जबाबदावा का अवलोकन किया गया, परिवादी की बहस सुनी गई। प्रतिवादी को कई अवसर दिये जाने के बाद भी वह सुनवायी के दौरान अनुपस्थित हैं पूर्व में दिनॉक 23.07.2023 को प्रतिवादी अधिवक्ता का पंजीकरण सं0 उ0प्र01117/88 निलम्बित किया गया था, जिसे दिनॉक 17.08.2023 को प्रतिवादी के समिति के समक्ष उपस्थित होने पर अपना जबाब व कार्यवाही में भाग लेने हेतु निर्देश के साथ आदेश दिनॉक 23.07.2023 को निरस्त किया गया किन्तु उनके बावजूद प्रतिवादी लगातार सुनवयी के दौरान अनुपस्थित रहा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली में प्रतिवादी अधिवक्ता अपना जबाबदावा प्रस्तुत करनें के बाद बहस करनें हेतु उपस्थित नही है,

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

समिति इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है, कि उपरोक्त परिवाद में परिवादी द्वारा किये गये कथन को प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जबाब न दिया जाना तथा समिति की कार्यवाही में उपस्थित न होना गम्भीर अवमानना की श्रेणी में आता है व प्रतिवादी अधिवक्ता के आपराधिक कियाकलाप के कारण विवाद है ,जिस पर विभिन्न न्यायालयों में वाद लम्बित है। इसलिए अधिवक्ता का अधिवक्ता पंजीकरण पॉच वर्ष हेतु निलम्बित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

उपरोक्त परिवाद धारा 35 अधिवक्ता अधिनियम के अन्तर्गत अधिवक्ता श्री चंचल चित्त का पंजीकरण सं0 उ0प्र01117/88 पंजीकरण पॉच वर्ष हेतु निलम्बित किया जाता है तथा आदेश की तिथि से प्रतिवादी अधिवक्ता चंचल चित्त पंजीयन सं0 उ0प्र01117/88 किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय हेतु अधिकृत नही होगें। सचिव बार कौंसिल उ0प्र0 को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश के कियान्वयन के लिए माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज व जिला जज चित्रकूट तथा जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट, पुलिस अधीक्षक चित्रकूट एवं जिला बार एसोसिएशन चित्रकूट को आदेश के अनुपालन हेतु आदेश की प्रति भेजी जाय।बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो।

दिनांक 20.05.2024

BAR COUNCIL OF U.P. Allahabad

TRUE COPY

अनुशासन अधिकारी
अनुशासन समिति
बार कौंसिल ऑफ उ0प्र0, प्रयागराज

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD